ESTD 1989

NIMA MUTUAL BENEFIT SCHEME

Office : G/2, Mohan Kunj, M.J. Phule Road, Naigaon, Dadar, Mumbai- 400 014
Tel. No. 022-2412 3407 Office Hours : 3.00 pm to 5.00 pm (Sunday Close)
www. nimaindia.com

आदरणिय सदस्य गण,

कृपया यह पत्र आपकी कार्यकारणी सभा मे पढीये और उपस्थित तथा अनुपस्थित अपने सभासदो को NIMA MBS के बारे मे जानकारी दिजीये और जादा से जादा निमा एम.बी.एस. सभासद करने का प्रयास करे।

निमा म्युचव्हल बेनिफीट स्कीम : यह योजना केवल निमा सभासदों के स्वास्थ से ही जुडी न रहकर, उनसे आश्रीत परिवार को ध्यान मे रखकर बनाई गई। बहुदा करीब करीब सभी निमा सभासद चिकित्सा व्यवसायी है और उन्हे किसी तरह का शासन निवृत्ती वेतन नही प्राप्त होता।

सन १९८९ मे निमा के वरिष्ठ सभासदों ने इस बारेमे सोच-समझकर इस योजना का प्रस्ताव तयार किया था।

जिसमे : १) एम.बी.एस. सदस्य के मृत्योपरांत सभासद परिवार को आर्थिक सहाय्यता करना।
२) बिमार सभासद को आर्थिक सहाय्यता करना।
३) सभासद की कायम विकलांगता मे आर्थिक सहाय्यता प्रदान करना।

शुरुवात मे यह योजना १५ साल अवधी की थी तथा आर्थिक सहाय्यता रु. २००००/- तक दी जाती थी।
सन १९९३ से इस योजना अवधी २० साल की गई। मृत्युपश्चात देय निधी धीरे-धीरे रु.२०००० से ३०००० से ३५००० से ४०००० से ४५००० से ५०००० से ६००००,६५००० और अब ७५००० तक बढाई गयी है।

यह बहुत खेद की बात है की, करीब करीब पुरे देश में २८००० निमा सदस्यों मे से कम से कम २२००० सदस्य साठ वर्ष की उम्र से कम के है। फिर भी उन्होने एम.बी.एस. को अपनाने मे रुची नही दिखाई। इसके कई कारण भी हो सकते है। जैसे की, शायद योजना की जानकारी नही होना या सही तरीके से इसका प्रचार न होना? यदी एम.बी.एस. सदस्य संख्या ३००० तक हो जाए तो मृत्युपश्चात देय निधी १ लाख तक होगी।

अब तक इस योजना मे करिब १७०० सदस्य शामील है। इस साल से देय आर्थिक सहाय्यता रु. ७५००० देना निश्चित हुआ है। अतः हर एम.बी.एस. सदस्यों ने ३ से ५ नये सदस्य बनाना जरुरी है। हमे चाहते है की, जो केन्द्रीय या राज्य शाखा या स्थानिक निमा शाखा कार्यकारिणी सदस्य है वे सभी निमा एम.बी.एस. के सभासद होना अनिवार्य होना चाहीए। इस तरह से योजना का सही प्रचार हो सकता है तथा इस योजना का लाभ भविष्य में निमा परिवार का हर सभासद ले सकेता है।

निमा एम.बी.एस. की विशेषताऐ :

१) निमा का कोई भी आजीवन सदस्य जिसकी उमर ६० वर्ष से कम है, वह एम.बी.एस. योजना का सभासद हो सकता है। इतना ही नही जो पती/पत्नी (SPOUSE) निमा सदस्य नही बन सकते (जो व्यवसाय से डॉक्टर नही है) वे भी इस योजना मे शामिल हो सकते है।

नये सदस्यों के लिए उम्र के अनुसार निम्न लिखीत राशी का भुगतान करना होगा।

सदस्य उम्र	प्रवेश फी	अनामत रक्कम	वार्षिक शुल्क	कुल राशी
सदस्य उम्र ३० से अंदर	१००	१०००	२००	१३००
सदस्य उम्र ३१ से ३५ वर्ष	१५०	१०००	२००	१३५०
सदस्य उम्र ३६ से ४० वर्ष	२००	१०००	२००	१४००
सदस्य उम्र ४१ से ४५ वर्ष	२५०	१०००	२००	१४५०
सदस्य उम्र ४६ से ५० वर्ष	३००	१०००	२००	१५००
सदस्य उम्र ५१ से ५५ वर्ष	३५०	१०००	२००	१५५०
सदस्य उम्र ५६ से ६० वर्ष	४००	१०००	२००	१६००

ब) पती या पत्नी (SPOUSE) जो निमा सदस्य नही है, उन्हे रु. १००० अधिक देना होगा।

२) उपरोक्त राशी के साथ एम.बी.एस. सदस्यता फॉर्म तथा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटस, डिग्री सर्टिफिकेटस, निमा सदस्यता प्रमाणपत्र और जन्म का दाखला, विवाह का प्रमाणपत्र या शपत पत्र इनकी झेरॉक्स प्रतीयाँ साथ मे देना होगा।

३) इस योजना से जुडने के ६ माह बाद इसका फायदा सदस्य को लागू होगा।

पिछे ....

४) जो सदस्य योजना का ५ साल तक नियमीत सदस्य रहेंगा वह यदी बिमार होता है और बिमारी पर दवाई का खर्च २००००/-से ज्यादा होता है, तो आवश्यक दस्तावेज स्थानिक शाखा द्वारा प्रस्तुत करने पर उन्हे रु. १००००/- निमा एम.बी.एस. द्वारा संयोग राशी के रुप में प्राप्त होंगे। इस सुविधा का लाभा नियमत सदस्य पुन: ५ साल बाद दुबारा ले सकता है। यह दी गई संयोग राशी अंतीम देय निधी राशी से कम की जायेगी।

५)२० साल के बाद सदस्य को केवल हरसाल वार्षीक शुल्क आजीवन देना अनिवार्य है ।

६) पुरे आर्थीक वर्ष के दौरान जो निधी मृतक सभासद के परिवारको दिया गया है तथा सभासद को उनके बिमारी के लिए दि गयी संयोग निधी निधी, एम.बी.एस. के सभासदों से यह राशी प्राप्त कि जाती है। कुल निधी को सभी सभासदों में समान अंश के रुप में विभाजित कर उसकी सुचना हर वर्ष एप्रिल माह में रजिस्टर पोस्ट द्वारा दि जाती है। तथा ३० जुन तक उसे अदा करना अनिवार्य है। अन्यथा प्रति माह. रु. ५०/- विलंब शुल्क के रुप में अतिरिक्त देना होगा। अधिकत्तम विलंब शुल्क रु. ३००/- हर वर्ष लागु होगा।

७) सदस्य के मृत्यु के बाद क्लेम फॉर्म भर कर उसके साथ मृत्यु दाखला स्थानीक निमा शाखा व्दारा प्रस्तुत करणे पर सभासद फॉर्म मे नामनिर्देशित व्यक्ती (Nominee) के नाम से निश्चित की गयी राशी चेक द्वारा अदा की जाएगी।

अनियमीत सदस्य (Defaulter) के परिवार को कानुन उपरोक्त राशी से वंचित रखा जायेगा।

८) सभी सदस्यों द्वारा प्राप्त राशी राष्ट्रीयकृत बँक ऑफ इंडिया, परेल शाखा, मुंबई खाता नं. ००८३१०१००००८१५१, मे फिक्स डिपॉसीट के रुप मे जमा रखी जाती है।

९) योजना मे पारदर्शिता रखने के लिए हर साल प्राप्त रासी एवं खर्चित राशी का संपूर्ण अहवाल चार्टर्ड अकॉन्टंट द्वारा निमा के राष्ट्रीय कार्यकारीणी मे प्रस्तुत किया जाता है । योजना की आर्थिक स्थिती से सभी सदस्यों को लिखीत रुप मे हर वर्ष अवगत कराया जाता है।

यह बात हम आपके सामने रखना चाहेंगे की, योजना से जुडकर हर सदस्य फायदे मे ही रहा है और आगे भी रहेगा। सभासद के परिवार की सहाय्यता निमा संघटन द्वारा होनी चाहीए यही एक प्रमुख उद्देश से यह निमा एम.बी.एस. योजना बनाई गई है। उदाहरण की तौर पर एक सदस्य को योजना से जुडने के बाद २० साल में १५ हजार रु. से जादा राशी देय हुयी नही है। जो किसी भी शासकिय या निम शासकिय अन्य बीमा कंपनी द्वारा अर्जित बिमा शुल्क से कई गुना कम है।

इस योजना मे धनराशी केवल एम.बी.एस. सदस्यो से ही प्राप्त कर, मृतक सहकारी के परिवारों मे वितरीत की जाती है।

अन्य शब्दो मे दुःख की घडी मे हमारे सदस्य के काम हम ही आते है।

एकमुस्त किस्त योजना : निमा एम.बी.एस. के सभासद उन्हे बाकी रहे वर्षो की रक्कम एक मुस्त भरना चाहते है तो वे इस प्रकार रक्कम एम.बी.एस. कार्यालय मे भेज सकते है। रु. ५००/- प्रतिवर्ष बाकी रहे वर्ष की अवधी अधिक १०० प्रती वर्ष उर्वरीत २० वर्ष के (रु. २०००) मिलाकर भेज सकते है। (३१ मार्च २०१५ तक)

फॉर्म एवं जानकारी संकेतस्थल www.nimaindia.com पर उपलब्ध आहे. अधिक जानकारी के लिए आप निमा एम.बी.एस. के पदाधिकारीयों से बात कर सकते है।

चेअरमन	कोषाध्यक्ष	कन्व्हेनर
डॉ. शांतीलाल शर्मा	डॉ. ए. के. जोशी	डॉ.मनोज सांगळे
लातूर	मुंबई	गुंजकुंज, आश्रम, मोझरी
मो. ९४२३०७५६२८	मो. ९८२०७१३२३९	मो. ९८२२९२४१२८

सदस्य

डॉ. शैलेश तांबे, मुंबई	डॉ. डी.एन. जाधव,मुंबई	डॉ. भूषण वाणी, नाशिक
मो. ९८६९९२५२९४	मो. ९८६९०६५७५६	मो. ९४२०४३७२७४

: केंद्रीय सदस्य गण :

डॉ. के. त्रिपाठी,वारानसी	डॉ. व्ही. डी. टेंभूर्णीकर, सोलापूर	डॉ. आशुतोष कुलकर्णी, अकोला
केंद्रिय अध्यक्ष एन.आय.एम.ए.	केंद्रिय महासचिव, एन.आय.एम.ए.	केंद्रिय कोषाध्यक्ष, एन.आय.एम.ए.